राजकीय महाविद्यालय, पाटी (चम्पावत)
उत्तराखण्ड (262561)
ई–मेल: gdcpati2019@gmail.com

उत्तराखण्ड राज्य

कार्यालय मुख्य प्रॉक्टर **दिनांक:** 11//08/2026

सूचना / NOTICE

पत्रांक: 01/2026-27

विषय: महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के संबंध में।

महाविद्यालय के समस्त **प्राध्यापकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं** को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर में अनुशासन, शैक्षणिक गरिमा, सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अतः निम्नलिखित अनुशासनात्मक निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें–

1. छात्र-छात्राओं हेतु निर्देश

1. महाविद्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर नियमित कक्षाओं में सहभागिता करें।
2. महाविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता, अभद्र भाषा, गाली-गलौज, मारपीट अथवा किसी प्रकार का विवाद न करें।
3. किसी भी प्रकार की **रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित** है।
4. महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।
5. बिना अनुमति के कक्षा में शोर, नारेबाजी अथवा अन्य गतिविधियाँ न करें।
6. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक-मुक्त रखने में सहयोग करें।
7. छात्र-छात्राएँ अपना **महाविद्यालय पहचान-पत्र (ID Card)** साथ रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करें।
8. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन/प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
9. सोशल मीडिया के माध्यम से महाविद्यालय, प्राध्यापकों, कर्मचारियों अथवा अन्य विद्यार्थियों के विरुद्ध आपत्तिजनक/अभद्र सामग्री प्रसारित करने से बचें।
10. किसी भी विवाद अथवा शिकायत की स्थिति में स्वयं कार्रवाई न करके **मुख्य प्रॉक्टर/प्रॉक्टोरियल बोर्ड** को सूचित करें।

D. Pandey
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
पाटी (चम्पावत)

2. प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों हेतु

1. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।
2. किसी भी अनुशासनहीन घटना की सूचना तत्काल मुख्य प्रॉक्टर को दें।
3. विद्यार्थियों के साथ व्यवहार में शैक्षणिक गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखें।
4. गंभीर घटना की स्थिति में स्वयं दंडात्मक कार्रवाई करने के स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य प्रॉक्टर को सूचित करें।

3. परिसर में निषिद्ध गतिविधियाँ

- रैगिंग एवं धमकाना
- मारपीट एवं अभद्र व्यवहार
- नशीले पदार्थों का सेवन/वितरण
- हथियार अथवा अन्य खतरनाक वस्तुओं का अनधिकृत प्रवेश
- महाविद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुँचाना
- यौन उत्पीड़न अथवा किसी भी प्रकार का भेदभाव
- बिना अनुमति पोस्टर/बैनर लगाना
- शैक्षणिक गतिविधियों में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करना

सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। अनुशासनहीनता की स्थिति में **महाविद्यालय के प्रचलित नियमों एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई** की जाएगी।

प्राचार्य

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय पाटी, चंपावत
पाटी (चम्पावत)

मुख्य प्रॉक्टर

डॉ0 धर्मवीर सिंह
राजकीय महाविद्यालय पाटी, चंपावत

सदस्य-

1-डॉ0 के0के0 मिश्रा

2-श्रीमती हिना परवीन

3- श्रीमती ऋतु

4-श्री प्रमोद वर्मा